रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 671] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 6, 2017/फाल्गुन 15, 1938
No. 671] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 6, 2017/PHALGUNA 15, 1938

IndiaCode

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

(राष्ट्रीय जल मिशन)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2017

का.आ.746(अ).—सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति से उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार से किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता समाप्त करता है;

और, भारत सरकार का जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, (जिसे इसमें इसके पश्चात मंत्रालय कहा गया है) विभिन्न केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के संगठनों, जल और भूमि प्रबंध संस्थाओं, स्वयं सेवी संगठनों, गैर-सरकारी सगंठनों, अनुसंधान और विकास संस्थानों या विश्वविद्यालयों आदि (जिन्हें इसमें इसके पश्चात कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) को सहायता अनुदान या वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर, केन्द्रीय सेक्टर स्कीम के रूप में राष्ट्रीय जल मिशन (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) का कार्यान्वयन कर रहा है;

और, स्कीम के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु कार्यान्वयन अभिकरण निम्नलिखित क्रियाकलाप अर्थात् जल सेक्टर हेतु राज्य विशिष्ट कार्य योजनाएं तैयार करना, मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माण संबंधी क्रियाकलाप, जल उपयोग दक्षता संबंधी मूलभूत अध्ययन, आरम्भिक या प्रदर्शनात्मक परियोजनाओं का कार्यान्वयन और संबंधित क्रियाकलाप कर रहे हैं;

और, कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा, मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए सहायता-अनुदान या वित्तीय सहायता का उपयोग, व्यक्ति संसाधनों, प्रशिक्षणार्थी भागीदारों, कार्यान्वयन अभिकरणों के कर्मचारीवृंदों, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारीवृंदों, पंचायती राज संस्थाओं, जल प्रयोक्ता संघों, आवासीय कल्याण संघों, औद्योगिक संघों, तथा अन्य संगठनों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात फायदाग्राही कहा गया है) को प्रशिक्षण देने या प्रशिक्षण सामग्री या पारिश्रमिक या मानदेय या सेवाओं या अन्य प्रसुविधाओं (जिसे इसमें इसके पश्चात प्रसुविधा कहा गया है) के लिए किया जाता है;

और, स्कीम के अधीन प्रस्थापित प्रसुविधाओं में भारत की संचित निधि से उपगत आवर्ती व्यय अन्तर्वलित हैं;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करती है अर्थात्:-

1. (1) स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने वाले किसी पात्र व्यक्ति से उसके पास आधार संख्यांक होने का प्रमाण प्रस्तुत करने या आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करने की अपेक्षा होगी।

(2) स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने का हकदार ऐसे व्यक्ति से, जिसके पास आधार संख्यांक नहीं है या जिसने अभी आधार के लिए नामांकन नहीं करवाया है, किन्तु स्कीम के अधीन प्रसुविधाओं का उपभोग करने का इच्छुक है, 30.09.2017 तक आधार नामांकन के लिए आवेदन करने की अपेक्षा होगी परन्तु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने के लिए हकदार हो और ऐसे व्यक्तियों को आधार के लिए नामांकन हेतु किसी आधार नामांकन केन्द्र (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर सूची उपलब्ध) पर जाना होगा।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के नियम 12 के अनुसार मंत्रालय से, जो किसी व्यक्ति से आधार प्रस्तुत करने की अपेक्षा करता है, स्कीम के अधीन अनुदान प्राप्त करने वाले अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से ऐसे फायदाग्राहियों के लिए, जिन्होंने आधार के लिए अभी नामांकन नहीं कराया है आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराने की अपेक्षा होगी और यदि उनके ब्लाक या तालुका अथवा तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र स्थित नहीं है तो मंत्रालय से उसके कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के विद्यमान रजिस्ट्रार के साथ समन्वय करके अथवा स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर सुगम स्थानों पर आधार नामांकन सुविधा उपलब्ध कराने की अपेक्षा होगी:

परन्तु फायदाग्राही का आधार नियत किए जाने तक स्कीम के अधीन ऐसे व्यक्तियों को निम्नलिखित पहचान दस्तावेज प्रस्तुत करने के अधीन रखते हुए फायदा दिया जाएगा अर्थात:-

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची; अथवा

(ii) नीचे पैरा 2 के उप-पैरा (2) में यथा विनिर्दिष्ट आधार नामांकन हेतु उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति; और

(ख) (i) मतदाता पहचान कार्ड ; या (ii) स्थायी खाता संख्यांक (पैन) कार्ड; या (iii) पासपोर्ट; या (iv) राशन कार्ड; या (v) कर्मचारी का सरकारी पहचान पत्र; या (vi) बैंक/डाकखाने की पासबुक फोटो सहित; या (vii) मनरेगा कार्ड; या (viii) किसान फोटो पासबुक; या (ix) मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या (x) किसी राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा उसके शासकीय पत्र पर फोटो सहित जारी ऐसे व्यक्ति की पहचान का प्रमाणपत्र; या (xi) मंत्रालय द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज;

परन्तु और कि उपर्युक्त दस्तावेजों की जांच, मंत्रालय उस प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट रूप से अभिहित किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी।

(4) मंत्रालय से सहायता अनुदान या वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहा कार्यान्वयन अभिकरण से यह अपेक्षित होगा कि वह इस आशय का प्रमाण प्रस्तुत करे कि उसके सभी फायदाग्राहियों, जिन पर सहायता अनुदान या वित्तीय सहायता खर्च की जाती है, ने उनके पास आधार होने का प्रमाण प्रस्तुत किया है या आधार अधिप्रामणन प्रक्रिया पूरी की है या पैरा 1 के उप पैरा (2) और उपपैरा (3) की अपेक्षा का अनुपालन किया है।

2. स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध प्रसुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए संबंधित मंत्रालय सभी अपेक्षित व्यवस्था करेगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी है अर्थात:-

(क) अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से स्कीम के अधीन आधार की आवश्यकता के बारे में फायदाग्राहियों को जागरूक बनाने हेतु मीडिया और व्यक्तिगत सूचना के माध्यम से व्यापक प्रचार और यदि उन्होंने पहले नामांकन नहीं करवाया है तो उन्हें 30.09.2017 तक उनके क्षेत्र में उपलब्ध निकटतम आधार नामांकन केन्द्र में नामांकन कराने की सलाह दी जा सकेगी। उन्हें स्थानीय तौर पर उपलब्ध नामांकन केन्द्रों (www.uidai.gov.in पर सूची उपलब्ध) की सूची उपलब्ध करायी जाएगी।

(ख) यदि, समीपी क्षेत्र अर्थात् ब्लाक या तालुका या तहसील में नामांकन केन्द्र उपलब्ध न होने के कारण स्कीम के अधीन फायदाग्राही आधार नामांकन कराने में समर्थ नहीं हैं तो संबंधित मंत्रालय से उसके कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधा का सृजन करने की अपेक्षा होगी और फायदाग्राहियों से अनुरोध किया जा सकेगा कि वे अपना नाम, पता, मोबाइल नं. तथा पैरा 1 के उप-पैरा (3) के पहले परंतुक में यथा विनिर्दिष्ट अन्य ब्यौरे देकर कार्यान्वयन अभिकरण के संबंधित पदधारी या इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध वेब पोर्टल के माध्यम से आधार नामांकन के लिए अपना आवेदन रजिस्ट्रीकृत कराएं।

3. यह अधिसूचना राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से, असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रभावी होगी।

[फा.सं. एम-96016/1/2016-एनडब्ल्यूएम]

संजय कुंडू, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

(National Water Mission)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd March, 2017

S.O.746(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation (hereinafter referred to as Ministry) in the Government of India is implementing the National Water Mission (hereinafter referred to as the Scheme) as a Central Sector Scheme by providing Grant-in-Aid or Financial Assistance to various Central and State Government organizations, Water and Land Management Institutes, Voluntary Organizations, Non-Governmental Organizations, Research and Development Institutes or Universities, etc. (hereinafter referred to as the Implementing Agencies);

And whereas, to achieve the objectives of the Scheme, the Implementing Agencies do the following activities viz. preparation of State Specific Action Plans for Water Sector, Human Resource Development and Capacity Building activities, Baseline Studies for Water Use Efficiency, implementation of pilot or demonstration projects and related activities;

And whereas, the Grant-in-Aid or Financial Assistance provided by the Ministry is used by the Implementing Agencies for providing training or training materials or remuneration or honorarium or services or other benefits (hereinafter referred to as benefits) to the resource persons, trainee participants, staff of Implementing agencies, Central and State Government Staff, Panchayati Raj Institutions, Water Users Associations, Residents Welfare Associations, Industrial Associations, and other organizations (hereinafter referred to as beneficiaries);

And whereas, the benefits offered under the Scheme involve expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:-

1. (1) An Individual eligible to receive the benefits under the Scheme is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) An Individual entitled to receive the benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, but desirous of availing the Benefits under the Scheme is hereby required to make application for Aadhaar enrollment by 30-9-2017, provided she or he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such individuals shall visit any Aadhaar enrolment centre [list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in] to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry through its implementing agencies receiving the grants under the scheme, which requires an individual to furnish Aadhaar, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the Beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Ministry through its implementing agencies is required to provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming UIDAI Registrar themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, Benefits under the Scheme shall be given to such individuals subject to the production of the following identification documents, namely:–

(a) (i) if she or he has enrolled, her or his Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of her or his request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (b) of paragraph 2 below; and

(b) (i) Voter Identity Card; or (ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or (iii) Passport; or (iv) Ration Card; or (v) Employee Government ID Card; or (vi) Bank / Post office Passbook with Photo (vii) MGNREGS card; or (viii) Kisan Photo passbook; or (ix) Driving license issued by Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (x) Certificate of identity having photo of such member issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or (xi) Any other document as specified by the Ministry;

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by Ministry for that purpose.

(4) The Implementing Agency receiving Grant-in-aid or Financial Assistance from the Ministry is required to furnish proof that all their beneficiaries on whom the Grant-in-aid or Financial Assistance is spent, have furnished proof of possession of Aadhaar or have undergone Aadhaar authentication or have complied to requirement in sub-para (2) and (3) of paragraph 1.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries under the Scheme, the concerned Ministry shall make all the required arrangements including the following, namely:-

(a) Wide publicity through media and individual notices shall be given through its Implementing Agencies to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest Aadhaar enrolment centres available in their areas by 30-9-2017, in case they are not already enrolled. The list of locally available enrolment centres (list available at www.uidai.gov.in) shall be made available to them.

(b) In case, the beneficiaries of the Scheme are not able to enroll for Aadhaar due to non-availability of enrolment centres in the near vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the concerned Ministry through its Implementing Agencies is required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may be requested to register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile numbers and other details as specified in the proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the concerned official of the Implementing Agencies or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories except the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[F.No. M-96016/1/2016-NWM]

SANJAY KUNDU, Jt. Secy.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2017.03.06 23:18:37 +05'30'